



नम्बर १०२४२ / कोरेस्ट. १५२० मवरका १०-१५ सन १९५० ईस्वी
 जरीफ इरिगेशन राजा दरवार व आम की आगाही के लिए शापा किया
 जाता है कि दफा १४ नैवड कोरेस्ट (कनम्बर २ सन् १९५०) के मुताबिक हस्व जेल अरका
 इस इरिगेशन के जारी होने की तारीख से बरबात हुआ जगल (Reserved
 Forest) शुमार किया गया है

ब्लोक

उमरचा रेंज
 कुवारेडा
 डिस्ट्रिक्ट कोटा

उत्तर! मौजा उमरचा रवाल रवा
 पूर्व! ब्लोक नगपुरा वनेरु ठिकाना/कोराप
 दक्षिण! मौजा कोजीया, मौजा कनोड, मौजा
 देपुरीया इलाका जवालीपर व ब्लोक
 जाम्बू कुडी ठिकाना वेगूं
 पान्चम! पारिपाल इलाका जवालीपर।

सच्ची प्रतिलिपि

सहायक वन बन्दोवस्त अधिकारी
 ३५/१०
 २०० छदयपुर (राज.)

इस ब्लोक का कुल रकबा ३३३२ बीघा है
 इसमें हस्व जेल एक एकड़ उन कवापद के जेर तहत जो गवर्नमेन्ट वक्त
 फ वक्तन बांधीज करे जायी रहे गे।

- (१) काशीन्द गान उमरचा, शंभुपुरा जनेनगर, गोपालपुरा-कोरादिपा, व गनेशपुरा
- (२) अपनी बिजली मवेशी अलाका मेड बकरी व ऊट के फ्री बना सकेगा
- (३) अपने बिजली डिस्टेमाज के लिए जलाऊ रबरकी लकड़ी व चास सीरब्लोक
 से फ्री लाते रहेगे।

नोट! राजपाना
 राजपाना
 ५ फ
 १०
 प्रकाशित हुआ है

- (ग) कि मवेशी मरने पर चमड़ा मारिक मवेशी लेजा सकेगा।
- (२) इस ब्लोक से मर्चि-चोत भातजि का स्थान दे जहाँ आम जनता दरनाच डा
 ना सकेगी व २० गज के दायरे में छेद कर पर शाही मर्चि कर सकेगी।
- (३) इस ब्लोक में मौजा उमरचा से मौजा कनोड मौजा कोजीया व मौजा
 कनोड जाने वाले रास्ते पर आम जनता व कारवादारों के दस्तूर
 फ्री गुजर सकेगी।

S.D. नैवधु सेक्रेटरी

राजस्थान सरकार
वि. २-४६४/१९८७ अ. १९ (१९८७)
पृष्ठ सं. ४६४/९३५६

राजस्थान विभाग विज्ञप्ति

(धारा-२० के अधीन)

दिनांक २६-११-६५ सन

दिनांक

संख्या F-7 (237) 1080 92

चूंकि विज्ञप्ति संख्या

द्वारा नीचे लिखी हुई भूमि को राजस्थान वन अधिनियम (१९५३ का अधिनियम संख्या १३) के अधीन आरक्षित वन के रूप में गठित किये जाने का प्रस्ताव किया गया था,

और चूंकि इन भूमियों पर अधिकारों के बारे में अधियाचनायें प्रस्तुत करने की अवधि जो निर्धारित की गई थी व्यतीत हो चुकी है और समस्त प्रस्तुत अधियाचनायें यदि ही निबटरी दी गई हैं।

और चूंकि उपर्युक्त अधियाचनाओं पर पारित आदेशों के विषय अग्रील पेश करने की अवधि व्यतीत हो चुकी है और इस अवधि में प्रस्तुत की गई अग्रील निबटरी दी गई हैं।

और चूंकि प्रस्तावित वन में सम्मिलित किये जाने के लिए अवाप्त की गई समस्त भूमियां यदि ही अनिवार्य अवाप्त कानून के अधीन सरकार में निहित होगी हैं।

अतः यह उचित पक्ष का धारा २० द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार उक्त भूमि को विज्ञप्ति संख्या के अन्तर्गत आरक्षित वन घोषित करती है जो इस आदेशानुसार उक्त अधिनियम के अधीन आरक्षित भूमि (१) में उल्लेखित सीमांतकरण करते रहेंगे और अधिनियम (१) में उल्लेखित सीमांतकरण के अधीन आरक्षित वन को जो भागमें उक्त अधिनियम के अधीन आरक्षित वन में सम्मिलित किये जाने के लिए अवाप्त की गई समस्त भूमियों का उपयोग करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

राज्य सचिव,
राजस्थान सरकार, जयपुर

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	पट्टी या वनखण्ड	मौजा	क्षेत्रफल वनखण्ड या मौजा एकड़ों में	विशेष विवरण
चित्तौड़गढ़	प्रसराठगढ़ ताल बगू	नम्बारा	नम्बारा कौंस घाटखण्ड उत्तरमा	३६५३.९४	सीमा रेखा का परिशिष्ट (अ) संलग्न है। नम्बारा कौंस (उत्तरमा) इसका क्षेत्रफल का है।

(Signature)
२०/१/६८
जयपुर

परिशिष्ट (अ)

रा नम्बर रैज या विस्तार कुन्नासडा जिला चितौडगढ
का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्रम संख्या श्रे	स्तम्भ संख्या तक	दूरी जरीब व कड़ियों में		दिशा	आगामी स्तम्भ तक सीमा रेखा का प्रकार पिटोव्हीमेट डेरिंग
		जरीब	कड़ियां		
२	३	४	५	६	७
१	२	१२	८०	उत्तरीय	१०-००
२	३	२५	८३	..	५-००
३	४	५	२१	उत्तर पूर्व पूर्वाभि	७६-००
४	५	१७	६५	दक्षिण पूर्व पूर्वाभि	१११-००
५	६	१२	५७	दक्षिण २ पूर्वाभि	१६३-००
६	७	७	५५	पूर्वाभि	८७-००
७	८	१६	३७	दक्षिण पूर्वाभि	१३४-००
८	९	७	५३	..	१३८-००
९	१०	९	१८	दक्षिण पूर्व पूर्वाभि	११५-००
१०	११	११	१०	दक्षिण २ पूर्वाभि	१५०-००
११	१२	१०	०५	..	१५४-००
१२	१३	१०	३३	दक्षिण पूर्व पूर्वाभि	१११-००
१३	१४	२०	५०	उत्तर पूर्व पूर्वाभि	६२-००
१४	१५	१४	०६	पूर्वाभि	८६-००
१५	१६	१४	२३	उत्तर पूर्व पूर्वाभि	७२-००
१६	१७	१२	५०	उत्तर २ पश्चिमीय	३३२-००
१७	१८	२५	७२	..	३३५-००
१८	१९	१६	०७	उत्तर पश्चिमीय	३०७-००
१९	२०	१६	८७	दक्षिण २ पश्चिमीय	२१३-००
२०	२१	११२	४४	सरहद निस्वयानिस्वयान नाका २म्भ	कुम्भो पेचकेसक साध
२१	२२	११	५३	दक्षिण २ पूर्वाभि	१५५-००
२२	२३	६	७०	..	१५५-००
२३	२४	२४	५७	..	१४८-००
२४	२५	२१	३७	..	१५८-००
२५	२६	१८	०३	दक्षिण पूर्वाभि	१४६-००
२६	२७	१६	०३	दक्षिण २ पूर्वाभि	३६२-००
२७	२८	१६	४३	दक्षिण पूर्वाभि	१२४-००
२८	२९	२४	१७	दक्षिण २ पश्चिमीय	१५५-००

परिशिष्ट (अ)

कनेरा रेंज या विस्तार क. बागेडा जिला चितौडगढ

का विवरण निम्न प्रकार है:-

संख्या	संख्या तक	दूरी जरीज व कड़ियों में		दिशा	आगामी स्तम्भ तक सीमा रेखा का प्रकार
		जरीज	कड़ियां		
२९	३०	२४	४७	दक्षिण	२४६-००
३०	३१	२२	५७	"	२५०-००
३१	३२	६	२०	दक्षिणपश्चिमपश्चिमी	२५२-००
३२	३३	९	२०	"	२३६-००
३३	३४	६	४५	"	२३६-००
३४	३५	७	७५	दक्षिण पश्चिमी	२३२-००
३५	३६	७	७६	"	२२७-००
३६	३७	७	७५	"	२२५-००
३७	३८	७	९९	"	२२६-००
३८	३९	७	७०	"	२३६-००
३९	४०	७	७२	दक्षिणपश्चिमपश्चिमी	२५२-००
४०	४१	६	४०	पश्चिमी	२६०-००
४१	४२	६	३४	दक्षिण पश्चिम पश्चिमी	२४४ २ ४१-००
४२	४३	७	५७	"	२४१-००
४३	४४	६	७१	"	२४१-००
४४	४५	७	६०	"	२४१-००
४५	४६	४७	६०	"	२३६-००
४६	४७	७	६५	"	२४०-००
४७	४८	६	१०	"	२४३-००
४८	४९	७	३३	दक्षिण पश्चिमी	२३१-००
४९	५०	७	६२	"	२३१-००
५०	५१	९	६७	दक्षिण पश्चिमपश्चिमी	२५२-००
५१	५२	७	९२	पश्चिमी	२७७-००
५२	५३	७	६७	"	२६१-००
५३	५४	७	६६	"	२६१-००
५४	५५	७	६०	"	२६१-००
५५	५६	६	३४	"	२६१-००
५६	५७	७	६७	दक्षिण २ पश्चिमी	२१०-००

परिशिष्ट (अ)

नगपुरा कमेरा

रेन्ज या विस्तार कुम्हारोडा

जिला चित्तौड़गढ़

मा रेखा का विवरण निम्न प्रकार है:—

सं०	स्तम्भ संख्या से	स्तम्भ संख्या तक	दूरी जरीन व कड़ियों में		दिशा	आगामी स्तम्भ तक सीमा रेखा का प्रकार पेप्रोन्क्सीयेट डेरिंग
			जरीन	कड़ियां		
१	२	३	४	५	६	७
१७	१७	१८	७	३१	उत्तर पश्चिम-पश्चिमी	२८५-००
१८	१८	१९	७	४१	"	२९०-००
१९	१९	२०	१६	५०	उत्तर २ पश्चिमी	२४७-००
२०	२०	२१	९	९७	उत्तरीय	२५५-००
२१	२१	२२	२०	७३	"	२५५-००
२२	२२	२३	८	९०	"	२५०-००
२३	२३	२४	२५	२५	उत्तर २ पश्चिमी	२४७-००
२४	२ ४	१	२४	५३	उत्तरीय	११-००

नोट—(१) जरीन से अन्तिम ७५ फीट की दूरी से हे जिसमें १०० कड़ियां होती है।
 (२) माप से अन्तिम धरातल के स्तर के माप से है।
 (३) काना न० ७ के कोष्ठक में पेप्रोन्क्सीयेट डेरिंग दर्ज कर दिजे गये है।

पी.पी.

Lu Singh
 26/7/68
 न बन्दोस्त अधिकारी
 उदयपुर

रिशिष्ट (अ)

वन खण्ड **वांगडमऊ** पार्ट **ए, बी, सी,** एज या विस्तार **हुयासेडा** जिला **चित्तौड़गढ़**
 की सीमा रेखा का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम सं०	स्तम्भ संख्या में	स्तम्भ सं० तक	दूरी उत्तरी व कड़ियों में		फोरेवर्ड डिस्टेंस की शीटों में	दिशा	भागाामी स्तम्भ तक सीमा रेखा का प्रकार
			पराब	कड़ियां			
1	2	3	4	5	6	6	7
वनखण्ड वांगडमऊ पार्ट (ए)							
1	1	2(1)	2	10	146	द०द०पूर्विय	सिमीरेखा
2	1(1)	2	6	75	146	"	"
3	2	3	3	20	71	उ०पू०पूर्विय	"
4	3	4	17	80	165	द०द०पूर्विय	"
5	4	5	2	00	202	द०द०पश्चिमीय	"
6	5	6	21	90	201	"	"
7	6	7	33	10	201	"	"
8	7	8	18	00	262	"	"
9	8	9	18	00	45	उ०पूर्विय	"
10	9	10	8	10	45	"	"
11	10	11	7	80	115	द०पू०पूर्विय	"
12	11	12	38	80	230	द०पश्चिमीय	"
13	12	12(1)	12	00	290	उ०प०पश्चिमीय	"
14	12(1)	13	1	80	305	उ०पश्चिमीय	"
15	13	1	18	60	-	-	नाला नाला
वनखण्ड वांगडमऊ पार्ट (बी)							
1	1	2	28	20	90	पूर्विय	सिमीरेखा
2	2	3	17	00	90	"	"
3	3	4	18	10	90	"	"
4	4	5	21	60	90	"	"
5	5	6	15	05	90	"	"
6	6	7	15	00	93	"	"
7	7	8	16	60	182	दक्षिणिय	"
8	8	9	17	50	276	पश्चिमीय	"
9	9	10	13	20	265	"	"
10	10	11	14	20	360	उत्तरीय	"
11	11	12	20	00	270	पश्चिमीय	"
12	12	13	3	40	360	उत्तरीय	"
13	13	14	37	00	272	पश्चिमीय	"
14	14	15	22	40	180	दक्षिणिय	"
15	15	16	7	00	255	द०प०पश्चिमीय	"
16	16	17	21	80	275	पश्चिमीय	"
17	17	00 1	23	20	20	उ०उ०पूर्विय	"
वनखण्ड वांगडमऊ पार्ट (सी)							
1	1	2	12	70	55	उ०पूर्विय	सिमीरेखा

खण्ड (अ)

धांगमऊ पार्ट
वन खण्ड ए, बी, सी, डी या विस्तार कुजासेडा जिला चित्तौड़गढ़
की सीमा रेखा का विवरण निम्न प्रकार है:--

क्रम सं०	स्तम्भ संख्या	स्तम्भ सं० तक	द्वारा रोव व कड़ियों में		दिशा	शायामी इतम्य तक सीमा रेखा का प्रकार	
			रोव	कड़ियां			
1	2	3	4	5	6	7	
2	2	3	2	00	195	द०द०पश्चिमीय	सिमीरेला
3	3	4	4	70	97	पूर्विय	"
4	4	5	2	00	160	द०द०पूर्विय	"
5	5	6	6	90	142	द०पूर्विय	"
6	6	7	9	70	112	द०द०पूर्विय	"
7	7	8	7	85	187	दक्षिणिय	"
8	8	9	10	40	271	पश्चिमीय	"
9	9	10	1	00	333	उ०उ०पश्चिमीय	"
10	10	11	3	50	293	उ०द०पश्चिमीय	"
11	11	12	1	90	30	उ०उ०पूर्विय	"
12	12	13	2	60	307	उ०पश्चिमीय	"
13	13	14	4	00	290	उ०द०पश्चिमीय	"
14	14	15	5	00	237	द०द०पश्चिमीय	"
15	15	16	2	25	332	उ०पश्चिमीय	"
16	16	17	0	40	09	उत्तरीय	"
17	17	1	1	85	322	उ०पश्चिमीय	"
वनखण्ड धांगमऊ पार्ट (डी)							
1	1	2	24	80	90	पूर्विय	सिमीरेला
2	2	2)1	5	20	174	दक्षिणिय	"
3	2)1	2)2	1	20	115	द०द०पूर्विय	"
4	2)2	2)3	11	20	-	-	नाला नाला
5	2)3	3	15	20	197	द०द०पश्चिमीय	सिमीरेला
6	3	4	2	40	113	द०द०पूर्विय	"
7	4	5	13	60	212	द०द०पश्चिमीय	"
8	5	5)1	9	20	75	उ०द०पूर्विय	"
9	5)1	5)2	7	40	66	"	"
10	5)2	5)3	7	00	68	"	"
11	5)3	5)4	4	30	31	उ०उ०पूर्विय	"
12	5)4	5)5	6	20	320	उ०पश्चिमीय	"
13	5)5	5)6	7	60	203	द०द०पश्चिमीय	"
14	5)6	5)7	10	40	350	उत्तरीय	"
15	5)7	5)8	2	80	77	उ०द०पूर्विय	"
16	5)8	5)9	9	70	78	उत्तरीय	"
17	5)9	5)10	8	60	350	"	"
18	5)10	5)11	5	90	84	पूर्विय	"
19	5)11	5)12	4	50	344	उत्तरीय	"

राजस्थान विभाग

विज्ञापन

संख्या F 2 (16) रज. 8 / 79

दिनांक 27-8-सन् 1981

यदि इनके माप संशोधन समुहों में समाविष्ट वन भूमि तथा वन भूमि में बाधना वगैरे पर सरकार के धोरणों के अधिकांशों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उनका अधिनियम राजस्थान वन अधिनियम (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन जारी की गई विज्ञापन के अनुसार में किया जा चुका है।

धन: धन उपयुक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) के द्वारा परत धनियों के प्रयोग में राज्य सरकार एहदद्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय 4 के अनुबन्ध पूर्वोक्त वन भूमि और वन भूमि पर लागू होंगे जो कि एकराजस्व रक्षित वन कहलाया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन सचिव

समुह

मिजा	तहसील	पट्टी या वनकण	बीजा	क्षेत्रफल वर्गफुट या बीजा एकड़ों में	विशेष विवरण
चित्तौड़गढ़	के. उप तहसील मैसूरिहमक रावत भाटा	नाहरगढ़ पार्ट २, बी, सी, डी, ई	पार्ट २	705-30	क्षेत्रीय समितिले क्षेत्रफल का विवरण निम्न प्रकार है पार्ट २ नाहरगढ़ त्सारत नं 00 1, 2, 3, 4 49-11 6-04 90-12 6-05 90, 92, 93, 94 0-18 29-00 5-05 5-01 95, 97, 98, 99 149-03 4-13 5-01 93-11 100, 101, 102, 4-06 5-01 7-02 104, 105, 106, 49-08 2-01 118-11 107, 111, 112 2-17 1-14 0-12
			नाहरगढ़ प्रातपपुरा	20-00	
			पार्ट बी	725-30 एकड़	
			लीटियावा	176-80	
			पार्ट सी	176-80 एकड़	
			सुपुत	208-80	
			काली रेत	357-33	
			पाण्डमरुपल	37-33	
				603-46 एकड़	
			पार्ट डी		
			लीटियावा	378-96	

क्षेत्रीय समिति सुपुत पर